कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट बहराइच।

दिनांकः दिसम्बर 22 ,2016

संख्या 80 /आयुध–बीस–अनापत्ति प्रमाण पत्र/2016

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उप जिला मजिस्ट्रेट बहराइच, अग्नि शमन अधिकारी गोण्डा, कार्यालय मुख्य अभियन्ता,(फै0क्षे0),लोक निर्माण विभाग फैजाबाद, जिला पूर्ति अधिकारी बहराइच तथा प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच की अनापत्ति के आधार पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 को पेट्रोलियम नियमावली–1976 के नियम–144 के अन्तर्गत ग्राम–नगरौर तहसील व जिला–बहराइच की भूमि गाटा संख्या 310मि0 रकबा 0.2420 हे0 मे रिटेल आउटलेट पेट्रोलियम स्थापित किये जाने हेतु निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता हैः–

01 मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, लिमिटेड, जनपद बहराइच में बहराइच–फैजाबाद–आजमगढ़(एस0एच0–30) मार्ग के कि0मी0–6(चैनेज–5.550) पर मध्य रेखा से दॉयी तरफ ग्राम–नगरौर, तहसील व जनपद–बहराइच के गाठा संख्या–310 मि0 में मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना लेपित मार्ग के मध्य से 22.86 (75 फीट) मी0 के बाहर कराया जाय।

02. रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 15 से0मी0 नीचा होना चाहिए ताकि सड़क पर परिसर का पानी नहीं आने पाये।

03. रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.6 मी0 पक्की ड्रेन बनायी जाय तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढका जाय, ताकि वाहनों के आवागमन असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।

04. सड़क से रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मी0 व्यास की एन0पी0–3 ह्यूम पाइप आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।

05. ड्रेजेन हेतु रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।

06. पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मी0 उपर रखा जाय। पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिगं नही खडा किया जाय।

07. लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एंव साइन बोर्ड लगाना अनुमन्य नही होगा।

08. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

09. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

10. मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, लिमिटेड के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, बहराइच द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।

11. एम0ओ0एस0टी0 द्वारा जारी पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0/33023/19/99–डी0ओ0–III दिनांक 24.07.2013 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तो एंव आई0आर0सी0 कोड–12,1983 में दी गयी शर्तें लागू होगीं।

12. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।

13. प्रमुख अभियन्ता,सामान्य वर्ग,लो0नि0वि0वि0,लखनऊ के पत्र संख्या–4888एम0टी0/सामान्य वर्ग/40एम0टी0–23/14 दिनांक 30.12.2014 द्वारा विशेष सचिव ,लो0नि0अनु0–12 उ0प्र0 शासन,लखनऊ को प्रेषित की गयी संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री गोविन्दा तुल्स्यान पुत्र श्री सुनील कुमार तुल्स्यान, निवासी मो0 नाजिरपुरा, गुदड़ी रोड, बहराइच पर बाध्यकारी होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बहराइच ने अपनी आख्या दिनांक 19–12–2016 द्वारा वरिष्ठ मण्डलीय रिटेल सेल्स प्रबन्धक, भारत पेट्रोलियम, कारपोरेशन, लिमिटेड (विपणन विभाग) लखनऊ मण्डलीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा बहराइच–गोण्डा मार्ग (एस0एच0–30) कि0मी0 5.00 से 6.00 के मध्य ग्राम–नगरौर, तहसील व जनपद–बहराइच स्थित निजी भूमि के गाटा संख्या–310मि0 में रिटेल आउटलेट (एम0एस0 एण्ड एच0एस0डी0 फिलिंग स्टेशन) स्थापित कर पेट्रोलियम उत्पादों का भण्डारण करने में कोई आपत्ति नहीं है। आवागमन हेतु संरक्षित वन भूमि का प्रयोग भारत सरकार से वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त करेंगे।

निम्नलिखित अग्निसमन सुरक्षा व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।

01. फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190–1992 के अनुसार आई0एस0आई0 मार्का स्थापित किये जाये।

02. फायर बकेट–8 अद्द विथ स्टैण्ड।

03. धूम्रपान निषेध बोर्ड तथा फायर स्टेशन बहराइच का टेलीफोन नं0 232111 व 101 का बोर्ड/पट्टिका निर्धारित लम्बाई×चौडाई के अनुरूप लगाया जाय।

04. टैंक के समीप 100 मी0 के अन्दर कोई चिन्गारी उत्पन्न करने वाली मशीन व उपकरण का प्रयोग न किये जाय।

05. किसी भी दशा में रास्ते का सेट बैक का अतिक्रमण न किया जाय।

06. प्रत्येक वर्ष उपरोक्त व्यवस्थाओ का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग के समक्ष अधिकारी द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा।

07. एक्स प्लोसिव रूल्स–2008 की शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापना के पश्चात प्रयोग मे लाये जाने के पूर्व की गयी अग्नि शमन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओ का निरीक्षण अग्नि शमन अधिकारी से कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा कि स्थापित अग्नि शमन यन्त्र मानक के अनुरूप है तभी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) सुरक्षित माना जायेगा तथा प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच, कार्यालय मुख्य अभियन्ता,(फै0क्षे0),लोक निर्माण विभाग फैजाबाद, के शर्तो /निर्देशो का पालन किया जायेगा।

संलग्नकः–मानचित्र।

जिला मजिस्ट्रेट,
बहराइच।